

प्रथम/द्वितीय (लेटरल एंट्री) वर्ष में प्रवेश हेतु प्रक्रिया/निर्देश/घोषणा

संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा आयोजित की गई काउंसिलिंग के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें UIT-RGPV में स्थान आवंटित किया गया है, को प्रवेश हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा :-

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्था में प्रवेश हेतु संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा निर्धारित समयावधि में अभ्यर्थी यूआईटी-आरजीपीवी के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में स्थित कान्फ्रेस रूम में उपस्थित होंगे ।
2. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्न मूल दस्तावेज एवं उनकी दो स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (फोटो कॉपी) लाना आवश्यक होगा ।
 - i. स्वयं के 2 (3 यदि छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक हो तो) पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ ।
 - ii. अर्हकारी परीक्षा (10+2) की अंकसूची एवं स्नातक परीक्षा की अंकसूची (केवल MCA के लिए)
 - iii. 10वीं परीक्षा की अंकसूची ।
 - iv. JEE-2018 परीक्षा की अंकसूची ।
 - v. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी संबंधित प्रमाण पत्र/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (यदि लागू हो तो) ।
 - vi. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) ।
 - vii. पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र एवं पे-स्लिप/आय बाबत स्वप्रमाणित घोषण पत्र (यदि लागू हो तो) ।
 - viii. ऑनलाईन प्रवेश का आवंटन पत्र (एलाटमेंट लेटर) ।
 - ix. ऑनलाईन अग्रिम शिक्षण शुल्क जमा करने की स्लिप ।
 - x. अध्ययनरत् अंतिम संस्था का स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र (टी.सी./सी.सी) ।
3. उपरोक्तानुसार कान्फ्रेस रूम में उपस्थित होने पर प्रवेश फार्म प्राप्त करें एवं उसे भरें । (अनारक्षित श्रेणी 1 एवं आरक्षित श्रेणी 2 प्रतियों में) ।
4.
 - i. इनमें से एक फार्म में बिन्दु क्र.2 में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों की एक-एक छाया प्रति एवं स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें ।
 - ii. दूसरा फार्म केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भरना है जिसमें उपरोक्त बिन्दु क्र. 2(v), (vi), (vii) एवं (x) में उल्लेखित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें ।
5. तदोपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन यूआईटी-आरजीपीवी के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में स्थित कम्प्यूटर कक्ष (ए-206) में करवायें ।
6. दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत इसी कक्ष में अभ्यर्थियों के द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क की जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी । छात्र शुल्क इंटरनेट/मोबाईल बैंकिंग, POS मशीन अथवा चालान के माध्यम से जमा करवा सकते हैं ।
इंटरनेट/मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से शुल्क जमा करने हेतु संस्था के खाते का विवरण निम्नानुसार है :-
 - i. बैंक का नाम : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरजीपीवी शाखा
 - ii. खाता क्रमांक : 537102010000325
 - iii. आईएफसी कोड : UBIN 0558672
7. ऐसे छात्र जो चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना चाहते हैं, उन्हें चार प्रतियों में चालान फार्म उपलब्ध करवाये जावेंगे । तत्पश्चात सभी श्रेणी के उम्मीदवार (अनारक्षित एवं आरक्षित) यूआईटी-आरजीपीवी के प्रशासनिक भवन के भू-तल में स्थित यूनियन बैंक में जाकर निर्धारित शुल्क की राशि जमा करेंगे एवं तत्पश्चात बैंक चालान की दो प्रतियों को यूआईटी-आरजीपीवी के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में स्थित कम्प्यूटर कक्ष में जमा करेंगे एवं उसकी पावती प्राप्त करें ।

8. इसके उपरांत पावती लेकर इसी कक्ष में उपरोक्त पावती को दिखाकर अपनी रिपोर्टिंग/अपना प्रवेश दर्ज करवायें ।
9. बिन्दु क्र.8 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करना अत्यंत आवश्यक है इसके अभाव में इस संस्था में आपका प्रवेश वैध नहीं माना जावेगा, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे ।
10. सभी छात्रों को बिन्दु क्रमांक-3 में उल्लेखित प्रवेश फार्म भरते समय परिचय पत्र (I-card) हेतु आवेदन भरना अनिवार्य होगा। ऐसे छात्र/छात्रायें जो छात्रावास में रहने के इच्छुक हैं वे भी इसी समय इस हेतु आवेदन पत्र भरेंगे।
11. प्रथम वर्ष की कक्षायें दिनांक 16/07/2018 से प्रारंभ की जावेंगी एवं उच्च सेमेस्टर की कक्षायें 2/7/2018 से प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट www.uitrgpv.ac.in पर उपलब्ध है। कक्षाओं की समय सारणी एवं कक्ष क्रमांक एवं अन्य जानकारियां इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि इस वेबसाइट को समय-समय अद्यतन सूचनाओं एवं निर्देश हेतु देखते रहे।
12. प्रथम वर्ष में प्रवेशित सभी छात्रों हेतु (छात्रावास में रह रहे छात्रों को छोड़कर) बस अनिवार्य है। बस/बस रूट की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
13. यूजीसी से प्राप्त नये दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र को एंटी रैगिंग संबंधी घोषणा-पत्र (सादे कागज में) जमा करना होगा। यह घोषणा-पत्र यूजीसी की वेबसाइट www.antiragging.in पर उपलब्ध है। छात्र को इस वेबसाइट पर जाकर ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करना होगा एवं घोषणा-पत्र को स्वयं व अभिभावक से हस्ताक्षरित कर प्रतिलिपि संस्था के शैक्षणिक विभाग में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रवेशित छात्र को एंटी रैगिंग एवं कालेज के नियम एवं प्रावधानों के संबंध में घोषणा-पत्र जमा करने होंगे। ये घोषणा-पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.uitrgpv.ac.in पर उपलब्ध है, जो कि प्रवेश के समय जमा करने होंगे।
14. सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र.4ए/10ए (एम.सी.ए. के छात्रों के लिए), 12, 30 जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट www.uitrgpv.ac.in पर उपलब्ध है का अध्ययन कर लें।
15. विद्यार्थी विशेष ध्यान दें कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी छात्र की कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होती है तो उन्हें परीक्षा (मिड सेमेस्टर एवं एंड सेमेस्टर) में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

घोषणा

मैं (अभ्यर्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री (अभ्यर्थी के पिता का नाम) जिसे यूआईटी आरजीपीवी में स्थान आवंटित किया गया है, घोषणा करता हूँ कि मैंने उपरोक्त बिन्दु क्र.1 से 15 में दर्शित प्रथम/द्वितीय (लेटरल एंट्री) वर्ष में प्रवेश हेतु प्रक्रिया/निर्देशों का अध्ययन कर लिया है एवं उपरोक्त के परिपालन हेतु मैं वचनबद्ध हूँ।

उपरोक्त प्रक्रिया/निर्देश का परिपालन न करने के की स्थिति में हुये दुष्परिणाम हेतु मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ।

स्थान: भोपाल

छात्र के हस्ताक्षर

छात्र का मोबाईल नं.

दिनांक: / /2018

अभिभावक के हस्ताक्षर

अभिभावक का मोबाईल नं.